



केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, आयुक्त नागपुर - II का कार्यालय,
तेलंगखेडी रोड, सिविल लाईन्स, पो.बॉ.सं. 81, नागपुर - 440 001.

ट्रेड नोटिस नं. 06/06/2015/NGP-II

दिनांक : 10/11/2015

विषय : Levy of Swachh Bharat Cess - Regarding.

उपरोक्त विषय पर अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना क्र. 21/2015-सेवा कर दिनांक 06/11/2015 जो फा. सं. 354/129/2015-टि. आर.यू. तथा अधिसूचना क्र. 22/2015-सेवा कर दिनांक 06/11/2015 जो फा. सं. 354/129/2015-टि.आर.यू. के तहत जारी की प्रतिलिपी सूचना, मार्गदर्शन एवं कार्यवाही के लिए प्राप्त करें।

सभी संबंधित संगठनों/कार्यालयों से अनुरोध है कि वे परिपत्र की जानकारी अपने सभी सदस्य निर्माताओं एवं व्यापारियों को दें।

(आशिष चंदन)
आयुक्त

फा.सं.IV(16)30-14/Tech/2014/NGP-II) 4468
संलग्न : यथोपरी

नागपुर, दि. 10/11/2015

प्रतिलिपी :

1. आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, नागपुर।
2. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, प्रभागीय प्रभाग/अधीक्षक रेंज प्रभारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, नागपुर - II.
3. सहायक आयुक्त, तकनीकी/विधी/समीक्षा एवं अधिकरण/सीमा शुल्क तकनीकी/न्यायनिर्णयन/निवारक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, नागपुर - II.
4. सहायक आयुक्त (संगणक), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मुख्यालय, नागपुर। यह अनुरोध है कि वे इस आदेश को कार्यालयीन वेब साइट पर अपलोड करें।
5. सभी व्यापार संगठन।
6. सभी वाणिज्य संगठन।
7. क्षेत्रीय सलाहकार समिती के सभी सदस्य (1) संगठित क्षेत्र (2) लघु उद्योग क्षेत्र।
8. लोक शिकायत निवारण समिती के सभी सदस्य।

भवदीय,
(कृ. जूसिथट फर्नांडिस)
सहायक आयुक्त (तकनीकी)

Notification No. 21/2015-Service Tax
New Delhi, the 6th November, 2015

G.S.R. ---[E].- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 112 of the Finance Act, 2015 (20 of 2015), the Central Government hereby appoints the 15th day of November, 2015 as the date with effect from which the provisions of Chapter VI of the said Act, shall come into force.

[F.No. 354/129/2015 - TRU]

(K Kalimuthu)
Under Secretary to the Government of India

Notification No. 22/2015-Service Tax
New Delhi, the 6th November, 2015

G.S.R. ---[E].- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) read with sub-section (5) of section 119 of the Finance Act, 2015 (20 of 2015), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all taxable services from payment of such amount of the Swachh Bharat Cess leviable under sub-section (2) of section 119 of the said Act, which is in excess of Swachh Bharat Cess calculated at the rate of 0.5 percent. of the value of taxable services:

Provided that Swachh Bharat Cess shall not be leviable on services which are exempt from service tax by a notification issued under sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 or otherwise not leviable to service tax under section 66B of the Finance Act, 1994.

This notification shall come into force from the 15th day of November, 2015.

[F.No. 354/129/2015 - TRU]

(K. Kalimuthu)
Under Secretary to the Government of India